

प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण
महानिदेशालय परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
प्रतापगढ़, बांदा, झाँसी, मिर्जापुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, पारानसी, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद,
सिद्धार्थनगर, बहराइच, फँजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, सहारनपुर एवं शाहजहाँपुर।

पत्र संख्या: प0क0/08-प्रशि0/आशा फँसेति0/2013-14/२,५५५-18 दिनांक- 07.2013

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा संगिनी को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान व सम्बन्धित रिपोर्टिंग प्रपत्र के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु लगभग 20 आशाओं पर एक आशा संगिनी का चयन करते हुए उनका 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह आशा संगिनी पहले से ही कार्यरत सक्रिय आशा है। इनके द्वारा किये गये कार्य हेतु प्रतिपूर्ति राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2013-14 में मिशन फलैकरीपूल के एफ0एम0आर0 मद सं0 B1.1.3.5.12 के अन्तर्गत कृत कार्यों के अनुरूप दिये जाने का प्रावधान है। यह प्रतिपूर्ति राशि रुपये 150/- प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 20 भ्रमण दिवस हेतु रुपये 3000/- प्रतिमाह ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक अथवा प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन के पश्चात देय होगा। यह धनराशि आशा संगिनी द्वारा आशा के रूप में किये गये कार्य के अतिरिक्त देय होगी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के लिये आशा संगिनी को प्रतिपूर्ति धनराशि के भुगतान हेतु एफ0एम0आर0 मद सं0 B1.1.3.5.12 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की है जिसकी जनपद वार विवरण निम्न तालिका में दी जा रही है।

S.no.	Name of District	No. of ASHA	ASHA Sanghi selected	Fund allotted to the District @ 150 for 20 field visits for 10 months (FMR code- B1.1.3.5.12 (In Lacs)
1	Bahraich	2202	110	33.00
2	Sahjahanpur	2014	101	30.50
3	Banda	1257	58	17.40
4	Faizabad	2056	103	30.90
5	Pratapgarh	2992	150	45.00
6	Kannauj	1492	75	22.50
7	Khiri	3117	148	44.40
8	Gorakhpur	2569	128	38.40
9	Azamgarh	2896	145	43.50
10	Mirzapur	1812	91	27.30
11	Varanasi	1900	93	27.90
12	Aligarh	2196	103	30.90
13	Saharanpur	2005	93	27.90
14	Jhansi	1167	54	16.20
15	Bulandshahr	2291	115	34.50
16	Mooradabad	1521	77	23.10
17	Sidharth Nagar	2002	111	33.30
Grand total	35489	1755	526.50	

आशा संगिनी के कार्य साक्षित्व-

- अपने क्लरस्टर की आशाओं के दिन प्रतिदिन के कार्यों में मासिक कार्ययोजना के आधार पर क्षेत्र प्रमण करना।
- आशा के कार्यों में आवश्यकतानुसार सहायता करना।
- आशाओं की क्षमतावृद्धि करना।
- उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का आयोजन करना।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों की बैठकों को आयोजित कराना तथा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को समर्थन एवं सहयोग प्रदान करना है।

आशा संगिनी का रिपोर्टिंग प्रपत्र-

- आशा संगिनी को अपने कार्य का भुगतान प्राप्त करने हेतु पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख तक संलग्न मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र (क्रमशः प्रपत्र 1 व 2) भरकर ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी / स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को जमा करना होगा जिसके आधार पर प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। रिपोर्टिंग प्रपत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्नक-1)
- आशा संगिनी के सुपरवाइजरी / रिपोर्टिंग प्रपत्र छपवाने हेतु घनराशि की व्यवस्था वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना में मिशन प्लैकसीपूल के एफ0एन0आर0 मद से0 B1.1.3.6.3 के अन्तर्गत प्रति आशा संगिनी रुपये 50/- की दर से की गई है, आशा संगिनी की सीमित संख्या को देखते हुए इन प्रपत्रों को मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जनपद में छपवाया जाना उचित होगा।
- आशा संगिनी द्वारा देय प्रतिपूर्ति राशि का सत्यापन ब्लाक स्तर पर ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर लिया जाय।
- आशा संगिनी को देय प्रतिपूर्ति राशि बैंक एडवाइस के माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक विधि से घनराशि आशा संगिनी के बैंक खाते में अवश्य स्थानांतरित कर दी जाय।
- मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जनपद में आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में आशा संगिनी को देय प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान की समीक्षा की जाय। आशा संगिनी का भुगतान वकाया होने की स्थिति में प्रमारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

ब्लाक व जनपद स्तर का रिपोर्टिंग प्रपत्र-

- आशा संगिनी के रिपोर्टिंग प्रपत्र के साथ ही साथ ब्लाक व जनपद स्तर पर भी आशा संगिनी की सक्रियता की स्थिति का आंकलन किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है।
- प्रत्येक आशा संगिनी द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों को रिपोर्टिंग प्रपत्र 3 पर ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा त्रैमासिक आधार पर संकलित किया जायेगा।
 - रिपोर्टिंग प्रपत्र 3 के आंकड़ों को रिपोर्टिंग प्रपत्र 4 पर ब्लाक स्तर पर सभी कार्यरत आशा संगिनी की सक्रियता की स्थिति को त्रैमासिक आधार पर जिला कम्युनिटी मोबलाइजर/नामित आशा नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। रिपोर्टिंग प्रपत्रों की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्नक-2)
 - रिपोर्टिंग प्रपत्र 5 को जिला कम्युनिटी मोबलाइजर त्रैमासिक आधार पर ब्लाक में आशा द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की सक्रियता के आधार पर ब्लाकों को 4 श्रेणियों/ग्रेडिंग देयें जो कि निम्न प्रकार से होंगे-
 - ग्रेड ए- ऐसे ब्लाक जहाँ 10 कार्यों में एवं कुल मिलाकर कम से कम 6/10 कार्यों में 75 प्रतिशत से अधिक आशा सक्रिय है।
 - ग्रेड बी- ऐसे ब्लाक जहाँ 10 कार्यों में एवं कुल मिलाकर कम से कम 6/10 कार्यों में 50 से 75 प्रतिशत आशा सक्रिय है।
 - ग्रेड सी- ऐसे ब्लाक जहाँ 10 कार्यों में एवं कुल मिलाकर कम से कम 6/10 कार्यों में 25 से 49 प्रतिशत आशा सक्रिय है।

- ग्रेड डी- ऐसे ब्लाक जहाँ 10 कार्यों में एवं कुल मिलाकर कम से कम 6/10 कार्यों में 25 प्रतिशत से कम आशा सक्रिय है। रिपोर्टिंग प्रपत्र 5 की छायाप्रति सुलग्न संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्नक-3)
- सभी संलग्नक (प्रपत्र 1-5) आशा संगिनी के प्रशिक्षण के उद्देश्य से विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल "आशा सहयोगियों के लिये मार्गदर्शिका" में विस्तृत उदाहरण के साथ उपलब्ध है जिससे आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ लिया जा सकता है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-

- आशा संगिनी के कार्यों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित क्लस्टर में विगत वर्षों में आशाओं द्वारा किये गये कार्यों को केसलाइन हेतु आधार माना जायेगा।
- आशा संगिनी द्वारा उनके क्लस्टर में किये गये आशाओं के कार्यों के आधार पर अर्जित परिणाम की गणना की जायेगी।
- आशा संगिनी के कार्यक्षेत्र में आशाओं के ज्ञान और कौशल में स्पष्ट वृद्धि होनी चाहिये एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चलाने जा रहे कार्यक्रमों की लाभार्थियों तक पहुँच परिलक्षित होनी चाहिये।
- आशा संगिनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का अनुश्रवण ब्लाक, जनपद एवं आशा मॉड्यूलिंग ग्रुप के सदस्यों द्वारा तथा राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि कृपया आशा संगिनी की प्रतिपूर्ति राशि के नियमित भुगतान व रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक समीक्षा व सम्वन्धित का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

भवदीय



महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्र संख्या ५०५०/०८-परि।/आशा फैसिलि।/२०१३-१४/

तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन उ०प्र०, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशाल कामलेक्स, १९ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, प्रतापगढ़, बांदा, झोंसी, मिर्जापुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, करणगढ़ी, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, बहराइच, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, सहारनपुर एवं शाहजहाँपुर।
5. निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. आशा नॉडल अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सभस्त गण्डलीय अपर निदेशक, उ०प्र०।
8. सम्बन्धित जनपदों के जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर को इस आशय के साथ कि वे दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक समन्वय स्थापित करें। (क्याबालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

महानिदेशक,
परिवार कल्याण

तालिका-2 आशा फॅसिलिटेटर के लिये रिजोल्टिंग फॉर्मेट- सक्रिय आशा कार्यकर्ताओं की संख्या का योग

आशा फॅसिलिटेटर के अधीन आशा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	सक्रिय आशा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	ऐसी आशा कार्यकर्ताओं की संख्या जिन्होंने रिजॉट नहीं की / जिनकी जानकारी नहीं है।	टिप्पणी
1 धर में प्रत्येक के मामलों में जन्म के प्रथम दिन गणनात क कर का दौरा			
2 नवजात देखभाल के लिये किये गये घर के दौरे-जैसा एचवीएनसी शिक्षा निर्देश में निर्दिष्ट है (नित्यगत प्रसंग के मामलों में 6 दौरे एवं घर पर प्रसव के मामलों में 7 दौरे)			
3 टीएएएनसी में भाग लेना / टीएएएनसी में सहभाग देना			
4 संस्थानगत प्रसंग में सहयोग			
5 स्वास्थ्यसंस्था में होने वाले बीमारियों, क्षातकर दरत और च्युटीनिंग का प्रबंधन			
6 धर के दौरे के साथ योजना सन्दर्भों परामर्श			
7 सक्षमिथा प्रभावित इलाकों में देखा गये बुखार के मामले / बलाबी गयी मरीजिया रसाइड			
8 अरिदर कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत आशा			
9 ग्राम/पंचायत/एनसी, डेटकों का आयोजन करना या चुनने भाग लेना			
10 आरक्षणी/सक्षमिथा सन्दर्भों/पुरुष मसजदों/ के सरकट रेकॉर्ड के मामले और/ या खाने की गर्भनिरोधक पोलिज (आवीपी) / खासतम उपलब्ध करना।			
11 ऐसे आशा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या जो कम से कम 6/10 कार्यों में सक्रिय हैं।			

प्रारूप-3 सक्रियता की स्थिति सम्बन्धी आंकड़ों का समेकन

फंक्शिलिटेटर --1	पहला महिला	दूसरा महिला	तीसरा महिला	औसत
1 धर में प्रसंग के मामलों में जून के प्रथम दिन दयाजात के धर का दौरा				
2 नवजात देखभाल के लिये किये गये धर के दौरे-जैसा एबीएनसी रिशा निर्देशों में निर्दिष्ट है (सिन्धुगत प्रसव के मामलों में 6 दौरे एवं धर पर प्रसव के मामलों में 7 दौरे)				
3 वीएचएनडी में भाग लेना/टीकाकरण में सहयोग देना				
4 संस्थानगत प्रसव में सहयोग				
5 बास्पाबन्ध में होने वाले वीमारिया, खानकर दस्त आर न्यूमोनिया का प्रदन्धन				
6 धरों के दौरे के साथ पाठम सावन्धी प्रसवश				
7 मत्तरिया प्रभावित इलाकों में रुखे गये बुखार के मामल/यमवी गयी महौरिया रलाइज				
8 उद्वल कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत आशा				
9 गाम/वीएचएनसी इंटकों का आयाजन करना या इनमें भाग लेना				
10 आइयूडी/महिला मण्डली/पुरुष मण्डली/ के सरस रक्षण के मामले और/या खान की गर्भनिरोधक गतिविया (ओसीपी)/कान्डोम उपलब्ध कराना				
11 ऐसी आशा कार्यकर्ताओं की खुल संख्या जो कम से कम 6/10 कार्य में सक्रिय हैं।				
12 ऐसी आशा कार्यकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है/जिनकी जानकारी नहीं है।				

प्रारूप-4 सक्रियता की स्थिति सम्बन्धी ब्लाक के आकड़ों का सारोक्त

निम्नलिखित कार्यों में सक्रिय आशा कार्यकर्ताओं की औसत संख्या	फैसिलिटेटर 1	फैसिलिटेटर 2	फैसिलिटेटर 3	फैसिलिटेटर 4	ब्लाक का योग
1 धर में प्रसव के मामले में जन्म के प्रथम दिन नवजात के धर का दौरा					
2 नवजात देखभाल के लिये किये गये धर के दौर-जैसा एचबीएनसी विशा निर्देशों में निर्दिष्ट है (संस्थान प्रसव के मामलों में 6 वारे एवं धर पर प्रसव के मामलों में 7 वारे)					
3 धीएचएनसी में भान लेना / टीकाकरण में साहयोग देना					
4 संस्थागत प्रसव में सहयोग					
5 वात्पाकथा में हाथ धाले बीमारियाँ, खाककर दस्त और न्यूमोनिया का प्रकथन					
6 धरों के दौरों के साथ माकण सम्बन्धी परामर्श					
7 संसारा प्रभावित इलाकों में दवाई गदे बुखार के मामले/ बनावी गयी गदरिया स्तण्ड					
8 खण्डन कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत आशा					
9 ग्राम / धीएचएनसी बैठकों का आयोजन करना या सुनने भाग लेना					
10 आईयूजी/ महिला नसबन्दी / पुरुष नसबन्दी / के सकल रक्षण के मामले और/ या धरों की गर्भनिरोधक गोलियाँ (ओपीवी)/ कान्काम उपलब्ध करना					
11 ऐसी आशा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या जो कम से कम 5/10 कार्यों में सक्रिय हैं।					
12 ऐसी आशा कार्यकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है/ जिनकी जानकारी नहीं है।					
13 प्रत्येक फैसिलिटेटर के अधीन आशा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या					

प्रारूप-5 पिता सम्बन्धक के लिये- ब्लॉकों में आशा की सक्रियता

	विनालिखित कार्यों में सक्रिय आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिशत (सक्रिय आशा कार्यकर्ताओं की संख्या/आशा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या) X 100	ब्लॉक-1		ब्लॉक-1	
		आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिशत	ब्लॉक का ग्रेड	आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिशत	ब्लॉक का ग्रेड
1	शर में प्रसाद के बाद में जन्म के प्रथम दिन ताजादत के घर का दौरा				
2	नवजात बच्चा के दिन किये गये घर के दूध-जैसा एचबीएनसी बिशा निर्देशों में निर्दिष्ट है (संख्यात प्रसव के मामलों में 8 दूध एवं घर पर प्रसव के मामलों में 7 दूध)				
3	कीटवर्गीय में भाग लेना/टीकाकरण में सहयोग देना				
4	संस्थागत प्रसव में सहयोग				
5	बाल्यावस्था में होन वाले बीमारियों, खासकर रक्त और पुमेनिया का प्रबंधन				
6	शरीर के दूध के साथ पापण सम्बन्धी परामर्श				
7	मलेरिया प्रभावित इलाकों में देखे गये बुखार के मामले/बर्तनी गयी मलेरिया रलाइड				
8	अद्वैत कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत आशा				
9	ग्राम/वीएचएसएनसी बैठकों का आयोजन करना या उनमें भाग लेना				
10	आइयूजी/महिला सम्बन्धी/पुरुष सम्बन्धी/क स्कूल स्कूल के मागले और/या खाने की गर्भनिरोधक गोलियों (डान्डीपी)/कान्डीम उपलब्ध कराना				
11	एएपी अउरा कार्यकर्ताओं की कुल संख्या का कम से कम 6/10 कार्य में सक्रिय है।				